

20-4-17
बकुलाब उप0/PO आहूत अल्प प्रशासनिक
कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 25-5-17
को पेश हो।

आध्यात्मिक सहायक कलम्वर अल्बर (राज्य)
राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट: भण्डोडी

मुद्दमा नं. 1/106

उनमान :- गुरगन vs सरकार

24-5-17

आज पत्रावली केम्प कोर्ट में पेरा 83 की वादीक एवं प्रतिवादीक उप0 वादी ने वाद इस भाष्य का पेरा किया आराजी साबिक स.न. 470 रक्बा 14किब जिसके हाल स.न. 1158 रक्बा 9 एकर, 1158 रक्बा 9 एकर वाले ग्राम भण्डोडी तह. मालातेश को प्रतिवादीक सं. 3 लगवत 8 कां. से जरिए रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 9-11-1990 को रररीड कर लिया बयनामा के आधार पर इन्तकाल सख्तो कु 72 भी र्जी होकर सख्तो किया जा चुका तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी फिन वारी का नाम अमल इरामड किया जा चुका है। अब हाल बन्दोबस्त में प्रतिवादीक सं. 3 लगवत 9 ने सख्त राजस्व करिणीगत की सज बाज से जमावदी में अपना नाम र्जी करा लिया उम्त गलत इडाक से फिन वारी के हक जायत होने का खतरा है। फिकर यह र्बा इन्तकारा र्क 8 इरली का किया जाक लार्कि 8 प्रतिवादीक को जरिए सख्त से तकव किया गया। पक्षकारान आज राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट में उप0 होकर एक राजीनामा प्र. कर पेरा कर निकेड किया कि प्रकरण में पक्षकारों के बीच मुलद हो चुकी है अंगे अब हमारे बीच कोई विवाद नरी र्बा है। हम पक्षकारों के बीच सम्मथ अच्छे हो चुके हो हमारे बीच इत

शुक्रान
अ नि

रामचरण

रामस्वरूप

अ

रमसा

अ

सीतपुम्प
(उप. एव. दीसा)

अ

नि.
कामेश्वर

(उप. स्व. सुवका)
अ. ग. अ. सु. म.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

वात पर राजीनामा हुआ कि साबिक ख.न. 470 रक्का
14 किमा जिसके हाल ख.न. 1155/0.09, 1158/0.09
वाके ग्राम भण्डोड़ी का बेचान प्रतिवादीगणों ने वादी को
दिनांक 9.11.90 को किया था जिसका ख.प. कार्यवाही
के दौरान नामान्तरकाण सं. 472 दर्ज व मंजूर हो गया था
लेकिन रिकॉर्ड में अमल नही हुआ। उक्त बेचान खूबि वादी
के नाम की जाती है तो प्रतिवादीगणों को कोई हतराज नही
है।

राजीनामा शा.पत्र पर पसकारों के हस्तामर | अंगूठा
किशाली कराए गए। वाद की आर्डर शिष्ट करार गया
जिसकी पहचान श्री लक्ष्मणराय सेनी पंच ने की।

अतः वादी का वाद राजीनामा शा.पत्र के आधार पर
डिस्मि किया जाता है कि ग्राम भण्डोड़ी तह. भालासेठ फिला
अलवर के हाल खसरा नम्बर ~~1155~~ 1155 रक्का 0.09
एयर, 1158 रक्का 0.09 एयर में वादी को रवातेदार
कारतकार धोक्ति दिया जाता है। तदनुसार डिस्मि
किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरासद किया जावे।

सहायक कलक्टर
अलवर